कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 वन निगम, 21/ 475, इन्दिरानगर, लखनऊ

पत्रांक एम– 1181 /नीलाम जनरल/शर्तें(यूके. अग्रिम ई–नीलाम) दिनांक21 मई,2014

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 वन निगम में यूकेलिप्टस के अग्रिम बिकी ई–नीलाम हेतु महाप्रबन्धक (विपणन) के पत्रांक एम–228/यूकेलिप्टस अग्रिम बिकी ई–नीलाम/नियम/शर्तें, दिनांक 01.05.2013 द्वारा यूकेलिप्टस के अग्रिम बिकी ई–नीलाम के नियम व शर्तें जारी की गयी थीं। कतिपय शर्तों में समय–समय पर आंशिक संशोधन भी होते रहे। आवश्यक संशोधनों को समाविष्ट करते हुए यूकेलिप्टस के अग्रिम बिकी ई–नीलामों के लिए अध्यावधिक नियम व शर्तें एतद्द्वारा जारी की जा रही हैं। ये शर्तें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी सभी आदेश/निर्देश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

यूकेलिप्टस के अग्रिम बिकी ई–नीलाम के नियम व शर्तें:–

1– उ0प्र0 वन निगम के डिपुओं में यूकेलिप्टस की भावी उपलब्धता के अनुमान के आधार पर अग्रिम विकी हेतु प्रकाष्ठ की लाट बनाकर लाट वार ई–नीलाम समय–समय पर आवश्यकतानुसार सम्पन्न किया जायेगा। इस नीलामी में भाग लेने हेतु सम्भावित केता को वन निगम के ई–नीलाम प्रणाली में अपना नाम पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण शुल्क रू. 20,000 (रू0 बीस हजार मात्र) होगा। इस के लिए केता वन निगम की वेबसाईट www.upforestcorporation.co.in पर ई–नीलामी प्रकिया सम्बन्धी सूचनाओं/नियम व शर्तों को देख सकते हैं।

2– अग्रिम बिकी ई–नीलाम सामान्यतः उच्चतम दर (लाटवार रू0 प्रति घन मीटर)के आधार पर होगा। परन्तु वन निगम, उच्चतम अथवा किसी भी दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही होगा। निगम को अधिकार होगा कि उच्चतम अथवा किसी भी दर को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे।

3–यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ का कोई ग्रेड नही है। अतः समस्त प्रकाष्ठ प्रथम श्रेणी का माना जायेगा। प्रकाष्ठ की गुणवत्ता के सम्बन्ध में केता की कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

4– केता को अपना पूरा नाम, फर्म का नाम व पता (पोस्टल ऐड्रेस) टेलीफोन नम्बर, मोबाईल न0 ई–मेल आईडी का स्पष्ट विवरण ई–नीलामी पंजीकरण/प्रकिया के समय उपलब्ध कराना होगा। उपलब्ध कराये गये पते पर भेजे गये पत्र केता को प्राप्त समझे जायेंगें। केता द्वारा अपूर्ण अथवा गलत पता देने पर अपनी अथवा वन निगम की किसी भी क्षति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

5– अग्रिम बिकी ई–नीलाम की सूचना/विकय सूची में उल्लिखित यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ की मात्रा अनुमानित है। इसमें उपलब्धतानुसार घटोत्तरी/बढ़ौतरी हो सकती है। प्रकाष्ठ की नपत बिना छाल (अण्डर बार्क) की जायेगी। प्रकाष्ठ की आपूर्ति उपलब्ध मात्रा के आधार पर ही की जायेगी तथा इसके निकासी की अधिकतम अवधि अग्रिम बिकी ई–नीलामी के समाप्ति के उपरान्त कुल 120 दिनों तक ही होगी। इसके पश्चात अग्रिम बिकी ई–नीलाम के निष्पादन की समयावधि स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

6– निर्धारित समय पर जब ई–नीलाम समाप्त हो जायेगा तो उस समय वेबसाईट पर प्रदर्शित लाट की उच्चतम दर देने वाले केता को नीलाम समाप्ति से 48 घण्टे के अन्दर उच्चतम दर के अनुसार आंकलित बिकय मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि अग्रिम जमानत के रूप में जमा करना होगा। यदि उक्त 48 घण्टे की अवधि में कोई अवकाश पड़ता है तो अग्रिम जमानत की जमा अवधि अवकाश अवधि के बराबर स्वतः आगे बढ़ जायेगी। उक्त अवधि में यदि उच्चतम दर दाता द्वारा अग्रिम जमानत की धनराशि नही जमा की जाती है तो उसकी दर अस्वीकार कर दी जायेगी, उसका पंजीकरण शुल्क निगम द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा केता को उ0प्र0 वन निगम के नीलामों में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।

कमशः.................2

अग्रिम जमानत की धनराशि ऑन लाइन, चालान या नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट, जो प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम के पक्ष में हो, द्वारा जमा किया जायेगा जिसे लाट के विक्रय की स्वीकृति/अनुमोदन के क्रम में यथा स्थिति जब्त अथवा लाट के लिये देय जमानत धनराशि में सम्मिलित किया जायेगा। अग्रिम जमानत हेतु जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट पर कलेक्शन चार्ज क्रेता से नही माँगा जायेगा। यह व्यय वन निगम द्वारा वहन किया जायेगा।

7– अग्रिम बिक्री ई–नीलाम में यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ के अग्रिम विक्रय का अनुमोदन प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम की स्वीकृत के उपरान्त ही पूर्ण समझा जायेगा।

8– लाट के विक्रय अनुमोदन की सूचना सम्बन्धित क्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर रजिस्टर्ड या हाथ द्वारा नीलाम तिथि से 30 दिन के अन्दर विक्रय प्रभाग से प्रेषित कर दी जायेगी। यदि इस तिथि तक सूचना प्राप्त नही होती है तो क्रेता सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि 30 दिन की अवधि समाप्त होजाती है और क्रेता को अनुमोदन सूचना नही प्रेषित है तो क्रेता के माँगने पर उसकी जमानत धनराशि वापस की जा सकती हैं।

9– सफल क्रेताओं को अनुमोदन की सूचना हाथ से देने की तिथि से 07 दिन के अन्दर या रजिस्ट्री से सूचना भेजने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर उसके पक्ष में स्वीकृत लाट के मूल्य का 05 प्रतिशत (अग्रिम जमानत को सम्मिलित करते हुए कुल 15 प्रतिशत) बतौर जमानत जमा करना होगा तथा सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी के साथ अनुबन्ध करना होगा। निर्धारित तिथि तक देय जमानत जमा कर अनुबन्ध न करने पर बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं वन निगम द्वारा क्रेता की अग्रिम जमानत की धनराशि तथा देय विलम्ब शुल्क को जब्त कर लिया जायेगा। इस मात्रा की पुनः बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश वन निगम स्वतंत्र होगा। देय जमानत की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के पक्ष में तथा अनुमोदन सूचना में उल्लिखित स्थान पर देय किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक के ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार किया जायेगा। जमानत की धनराशि का समायोजन अन्तिम निकासी के समय ही किया जा सकता है। जो क्रेता बिक्री अनुमोदित हो जाने के बाद निर्धारित अवधि में जमानत जमा करने एवं अनुबन्ध करने की कार्यवाही नही करेंगे उन्हे उत्तर प्रदेश वन निगम के नीलामों/निविदा में भाग लेने से निषेध के लिए काली सूची में दर्ज करने पर भी विचार किया जा सकता है।

10– अनुबन्ध पर जो व्यय होगा उसे क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा। अनुबन्ध हो जाने पर क्रेता को हाथो हाथ अथवा रजिस्टर्ड पत्र द्वारा प्रकाष्ठ उपलब्धता की सूचना शीघ्रता पूर्वक प्रेषित की जायेगी। उपलब्धता सूचना प्रेषण हेतु उच्च दरों को प्राथमिकता देते हुए कार्यवाही की जायेगी।

11– प्रकाष्ठ उपलब्धता की सूचना में प्रकाष्ठ का विवरण जैसे लाट संख्या, स्टैक संख्या, लम्बाई मध्यघेरी वर्ग, नग एवं आयतन, स्वीकृति दर एवं मूल्य तथा कर आदि अन्य देय धनराशियों की देयता विवरण का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। कौन सी धनराशि किस के पक्ष में तथा किस स्थान पर देय है इसका भी विवरण उपलब्धता सूचना में अंकित किया जायेगा।

12–सफल क्रेता द्वारा डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ की सूचना भेजने की तिथि से 10दिन के अन्दर सूचित किये गये मात्रा का कुल मूल्य (स्वीकृत दर × मात्रा) एवं देय समस्त कर जमा किये जाने पर तदनुसार मूल्य में एक प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।

13–छूट हेतु निर्धारित अवधि में यदि क्रेता द्वारा उपरोक्तानुसार धनराशि का भुगतान नही किया जाता है तो अगले 07 दिनों तक बिना विलम्ब शुल्क के पूर्ण धनराशि का भुगतान करना होगा।

क्रमशः.....3

फिर भी यदि क्रेता द्वारा धनराशि जमा नही की जाती है तो अगले 03 दिनों तक प्रत्येक दिन की देरी के लिये मूल्य पर 0.50 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। यदि विलम्ब शुल्क की 03 दिनों की अवधि के अन्दर भी केता देय धनराशि का भुगतान नही करता है तो सूचित की गई उपलब्धता की मात्रा का यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ जब्त कर लिया जायेगा और इस यूकेलिप्टस के मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्य के बराबर धनराशि जमा जमानत में से जब्त कर लिया जायेगा।

14–उपलब्धता की सूचना जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर सूचित की गई मात्रा को केता द्वारा डिपो से उठाना होगा। यदि केता किसी कारणवश उक्त अवधि में डिपो से उक्त प्रकाष्ठ की निकासी नही कर पाता है तो उक्त अवधि के बाद प्लाट रेंट के साथ 10 दिन तक निकासी सम्बन्धित प्रभागीय विकय प्रबन्धक/विकय अधिकारी द्वारा दी जा सकती है, जिसके लिए प्लाट रेंट 10 दिन के विलम्ब के लिये डिपो में पड़े शेष मात्रा के मूल्य का 0.50 प्रतिशत प्रति दिन की दर से देय होगा। 10 दिनों के पश्चात भी केता द्वारा निकासी नही ली जाती है तो अगले 10 दिनों के लिये सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक शेष प्रकाष्ठ की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। इस अतिरिक्त 10 दिनों के लिये प्लाट रेंट की दर 0.75 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से देय होगी। इसके पश्चात केता का विकय मूल्य जब्त कर लिया जायेगा तथा इस प्रकाष्ठ को वन निगम बिकी के लिये स्वतंत्र होगा।

15–सफल केता को स्वीकृत मात्रा के विरूद्ध निकासी हेतु सामान्यता– न्यूनतम एक ट्रक लोड से कम प्रकाष्ठ की उपलब्धता जारी नही की जायेगी। केडिट निकासी किसी भी दशा में नही दी जायेगी।

16–डिपो से निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त तक डिपो स्टाफ द्वारा ही की जायेगी।

17–बिकी पर नियमानुसार केता से केन्द्र/प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रचलित आयकर,वैट मण्डीशुल्क व अभिवहन शुल्क तथा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार के लगाये गये करों की वसूली विकय मूल्य के साथ ही की जायेगी। यदि शासन द्वारा करों में परिवर्तन किया जाता है अथवा नये कर लगाये जाते हैं तो वह निर्धारित तिथि से देय होंगे।

18–राष्ट्रीकृत बैंक के अतिरिक्त आई.सी.आई.सी.आई,एच.डी.एफ.सी तथा आई.डी.बी.आई. के बैंक ड्राफ्ट भी सभी देय धनराशियों हेतु मान्य होंगे, वशर्ते उपरोक्त बैंक की शाखा विकय प्रभाग मुख्यालय पर कार्यरत हो।

19–किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में केता द्वारा प्रभागीय विकय प्रबन्धक के किसी निर्णय से असन्तुष्ट होने पर उक्त प्रकाष्ठ अथवा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर पर किया जा सकता है। अपील पर निर्णय से असन्तुष्ट होने पर केता आर्वीट्रेशन हेतु जा सकता है। आर्वीट्रेटर महाप्रबन्धक, विपणन,उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ होंगे। उनका निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

20–उक्त शर्तों के अतिरिक्त उ0प्र0 वन निगम की बिकी की निम्न सामान्य शर्तें एवं वन विभाग के नियम भी लागू होंगे:–

(i)– **शून्यकाल:–** उ0प्र0 वन निगम के डिपुओं से बिकी किये गये वनोपज की निकासी लेने में अपरिहार्य परिस्थिति में हुए किसी प्रकार के व्यवधान जिसमें केता उत्तरदायी न हो की अवधि को शून्य काल घोषित करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम को होगा।

(ii)– भुगतान के सम्बन्ध में डिपो अधिकारी तथा लेखाकार या दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुहर लगी रसीद ही वैध मानी जायेगी।

कमशः.....4

(iii)– सम्बन्धित केता/फर्म द्वारा अवैधानिक/अनुचित कार्यवाही करने तथा वन निगम को क्षति पहुँचाने पर काली सूची में दर्ज करने तथा नीलाम निरस्त करने पर विचार किया जायेगा।

(iv)– वन निगम से कय किये गये प्रकाष्ठ की पुनः बिकी केता द्वारा वन निगम के डिपो से नही की जा सकती है। वन निगम वास्तविक केता जिसके नाम बिकी अनुमोदित की गई हो उसी को निकासी की अनुमति प्रदान करेगा।

(v)– विशेष परिस्थितियों में डिपो अधिकारी प्राधिकृत होगा कि वन निगम के किसी अन्य डिपो (उसी विकय प्रभाग के निकटवर्ती डिपो) से आंशिक रूप से भरी हुई ट्रक/ट्रैक्टर आदि को लिखित अनुमति के पश्चात डिपो में प्रवेश की अनुमति दे सकता है। वन निगम के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से कय किये गये आशिंक प्रकाष्ठ भरे ट्रक/ट्रैक्टर आदि को डिपो में प्रवेश नही करने दिया जायेगा। केता को उसके अतिरिक्त अन्य माध्यमों से ही डिपो से वनोपज की आंशिक निकासी दी जायेगी।

21– इस बिकी से सम्बन्धित किसी भी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक वाद केवल विकय प्रभाग के जनपद न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है।

22– उक्त सम्बन्धी किसी भी नियम/शर्त को प्रबन्धक निदेशक उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधित, अतिकमित या निष्प्रभावी किया जा सकता है।

(इकबाल सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 वन निगम लखनऊ

पत्रांक एम– 1181 /तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम।
2. मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ ।
3. आन्तरिक सम्परीक्षाधिकारी, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ ।
4. योजना एवं मूल्यांकन अधिकारी, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
5. विकय अधिकारी, विपणन/विपणन अधिकारी, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ ।
6. समस्त प्रभागीय विकय प्रबन्धक/ विकय अधिकारी, उ0प्र0 वन निगम ।

31.5.14

(इकबाल सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 वन निगम लखनऊ